[8/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 2639]

परिशिष्ट 'अ'

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2639

सामाजिक न्याय एवं निःशक्जन कल्याण संचालनालय ध्यप्रदेश
1250,तुलसीनगर, भोपाल–462003
दूरभाष–0755–2556916 फैक्स 0755–2552665
email—dpswbpl@nic.in

कमांक/निक/2019/1092 भोपाल, दिनाक 12-4-2019

प्रति,

1– समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश ।

2– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

3– समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में संचालित अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् अधिकारी/ कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु के संबंध में ।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशक्तजन कल्याण के क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में स्वीकृत पदों पर कार्यरत कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष में सेवा निवृत्त किये जाने हेतु मा. न्यायालयों में याचिकाएं प्रस्तुत की जा रही है ।

उपरोक्त के सबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तन कल्याण विभाग का आदेश कमांक एफ–3–8/ 2018/26–1, दिनांक 20.4.2018 की प्रति संलग्न प्रेषित है जिसके द्वारा तत्कालीन अपर संचालक, संचालनालय, पंचायत एवं समाज सेवा का ज्ञापन कमांक/अ.क/ 1/अनु/89–90/201, भोपाल, दिनांक 3.2.1990 (जिसमें अशासकीय विकलांग कल्याण संस्थाओं में पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं शिक्षकों को 62 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त करने संबंधी लेखा था) अधिकृत रूप से जारी नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है ।

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के आदेश कमांक/ एफ–1–1/ 2013/26–1, दिनांक 12.4.2013 की प्रति भी संलग्न है जिसमें कि सामाजिक न्याय विभाग के अन्तर्गत संचालित शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक जो शिक्षण कार्य से जुडे हैं, की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष सें बढाकर 62 वर्ष की गई है, उक्त आदेश अशासकीय संस्थाओं के अधिकारी/कर्मचारी/ शिक्षकों के लिए प्रभावशील नहीं है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 द्वारा शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष की गई है, उक्त अध्यादेश भी अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है ।

अतः अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त करने के संबंध में दायर की जाने वाली याचिकाओं में उक्त आदेशों/ अध्यादेश का उल्लेख करते हुए वादोत्तर प्रस्तुत किया जावे एवं शासन पक्ष का प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जावे ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)
संचालक,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.

पृ0कमांक/निक/2019/1093 भोपाल, दिनांक 12-4-2019

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2— समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।

संचालक,
सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण, म.प्र.